कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा

(ईमेल– *daolohardaga@gmail.com*)

पत्रांक 839/

दिनांक 1-10-24

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

सेवा में,

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी,
लोहरदगा।

विषय : इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधी विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के पत्रांक 49 रॉची दिनांक 02.08.2024 के आलोक में लोहरदगा जिला में एग्री क्लीनिक योजना का स्थापना की जानी है के निमित एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसी/ संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जिसमें महिला समूह/ स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/ सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) हो सकते है कार्यकारी एजेंसियों/ संस्थाओं का चयन से संबंधित इच्छा की अभिव्यक्ति का विज्ञापन संबंधी आवश्यक सूचना का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में करने हेतु सामग्री अपलोड करने के निमित हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (सी0डी0) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि तद्संबंधी विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग के बेबसाईट पर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अपलोड कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी।

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :	*– कालेन खलखो, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा।*
विभाग	*:– कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।*
मोबाईल सं0	*:– 7543001771*
मैसेन्जर का नाम	*:– अखिलेश्वर साहु, अनुसेवक*
मोबाईल सं0	*:– 8789125782*

विश्वासभाजन,

1/10/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लोहरदगा।

(कृषि प्रभाग)

इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

(अति अल्पकालीन निविदा सूचना)

(Very Short term Tender Notice)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के पत्रांक 49 राँची दिनांक 02.08.2024 के आलोक में झारखण्ड राज्य में एग्री क्लीनिक योजना प्रारंभ की जा रही है जिसका उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं आय में वृद्धि करना है। इस योजना अंतर्गत सभी जिलों में अनुमंडल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। जिसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ कार्ड, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबंद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध करायी जाएगी।

एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसी/ संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जिसमें महिला समूह/ स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/ सहकारी समितियाँ/ गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) हो सकते है कार्यकारी एजेंसियों/ संस्थाओं का चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा।

ईच्छा की अभिव्यक्ति तकनीकी बीड सीलबंद लिफाफे को एक बड़े सीलबंद लिफाफे में दिनांक 7.10.24 के पूर्वाहन 11:30 बजे तक समर्पित किया जायेगा। ईच्छा की अभिव्यक्ति (**Expression of Interest**) समर्पित करने संबंधी विस्तृत शर्त एवं दिशा निर्देश हेतु विभागीय राज्यादेश 49 दिनांक 02.08.2024 को लोहरदगा जिला के वेबसाईट www.lohardaga.nic.in एवं http:// atmalohardaga.co.in पर देखा जा सकता है।

सीलबंद **Expression of Interest** के तकनीकी बीड़ को प्रस्तावकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 7.10.24 के 12.30 बजे (अपराहन) में जिला स्तरीय कमिटी द्वारा खोला जायेगा। इसके पश्चात प्रस्ताव का **Power Point Presentation** प्रस्तावकों द्वारा कमिटी के समक्ष प्रदर्शित किया जायेगा। Expression of Interest या योजना संबंधी किसी प्रकार के संशय (Confusion) निराकरण हेतु मोबाईल नम्बर 7543001771 पर किसी भी कार्यालय दिवस के कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

28/09/24	30.9.24	1/10/24
जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	उप विकास आयुक्त, लोहरदगा	उपायुक्त, लोहरदगा।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लोहरदगा।

(कृषि प्रभाग)

(Email: daolohardaga@gmail.com)

इच्छा की अभिव्यक्ति

(अति अल्पकालीन निविदा सूचना)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड अंतर्गत लोहरदगा जिला में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं–49 दिनांक 02.08.2024 के आलोक में एग्री क्लीनिक सेन्टर स्थापना हेतु एक वर्ष तक संचालन और रख–रखाव हेतु निबंधित एवं इच्छुक महिला समूह/ स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/ सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि आदि से ईच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव दिनांक 7.10.24 के पूर्वाहन 11.30 बजे पूर्वाहन तक आमंत्रित की जाती है।

1. योजना का लाभ :– एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल 45 अनुमंडल में ई–मोबाइल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाऐंगे। इसके पश्चात् जो भी समासामयिक कृषि विषयक सूचनाएँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पंहुचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाईल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा– मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज खाद, कीटनाशी, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल सहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
2. एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसियां/संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा, जिसमें महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/ सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) भी हो सकते है।
3. एजेंसियों के चयन हेतु योग्यता :–
   - एग्री क्लीनिक के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो/ कृषि कार्यो में कम से कम तीन वर्षो का अनुभवन होना अनिवार्य होगा।
   - चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को काली सूची में नहीं रखा गया है इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   - चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को पूर्व के तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।
   - चयनित एजेंसी/संस्था को अपने फर्म का पंजीकरण से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
   - उक्त कार्य हेतु चयनित कमिटी का निर्णय मान्य होगा।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–49 दिनांक– 02.08.2024 के द्वारा एग्री क्लीनिक की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत्यादेश के कंडिका– 13 में निहित कार्यकारी एजेंसियों/संस्थाओं का चयन EOI के माध्यम से जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी।

5. कार्यकारी एजेंसियों/संस्थाओं का चयन EoI के माध्यम से जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नवत होगी :–

- उपायुक्त – अध्यक्ष
- उप विकास आयुक्त – सदस्य
- जिला कृषि पदाधिकारी–सह– नोडल पदाधिकारी(एग्री क्लीनिक) – सदस्य सचिव–सह–संयोजक
- जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक – सदस्य
- जिला के डीडीएम, नाबार्ड – सदस्य
- आत्मा के परियोजना निदेशक – सदस्य

चयनित एजेंसियों/ संस्थाओं को उपायुक्त के साथ एक साल के लिए **MoU** करना होगा। कार्यो के आधार पर चयनित एजेंसियों/संस्थाओं के **Performance** का मूल्यांकन कर अगले 02 वर्षो तक **MoU** का विस्तार किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी एजेंन्सी का अवधि विस्तार लगातार 03 वर्षो से अधिक नहीं होगी।

6. **दल की संरचना** – एग्री क्लीनिक के अंतर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा उनमें कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc (Agril) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्युटर दक्षता (DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्यवधि सुबह 9:00 बजे पूर्वाहन से शाम 5:00 बजे तक होगी। रविवार एवं N.I Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बन्द रहेगा।

एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/ कर्मचारी भी सेंन्टर पर रोस्टर के अनुसार सुबह 9.00बजे से शाम 5.00 बजे तक उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन में सहयोग करना होगा।

पशुपालन/ डेयरी/ मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी,

7. <u>**एग्री क्लीनिक के कार्य :–**</u>

- कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जॉच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा समर्पित K.C.C. आवेदन की जॉचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी,
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायगी,

- संपर्क पदाधिकारी/ प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा **minetjh.prosixinfotech.com** के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर **SMS** के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- संपर्क पदाधिकारी/ प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जाएगा,
- कृषक के मॉग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषको को उपलब्ध करायी जायेगी,
- मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषको को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा,
- संपर्क पदाधिकारी/ प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरा, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीप बोरिंग, बिरसा पक्का चेक डैम, परकोलेशन टैक, सौर उर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे,
- कृषि/ पशुपालन/ डेयरी/ मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/ नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/ प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/ विभिन्न कृषि मेला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएँ कृषकों को उपलब्ध कराना/ जागरूक करना,
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

8. एग्री क्लीनिक के स्थापना एवं संचालन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन सेंटर भवन, लोहरदगा में किया गया है। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35x9 फीट का एक बरामदा, 20x15 फीट का एक, 12x10फीट का दो कमरा, 15x10 फीट का दो कमरा के साथ शौचालय तथा 10X10 फीट का एक जेनरेटर कमरा है। उक्त भवन में एग्री क्लीनिक के लिए विभिन्न कमरे निम्न अंकित ले-आउट के अनुसार कार्य करेंगे। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1. बरामदा – कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था
2. कमरा नं0-1 – एग्री क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, कम्प्युटर रूम
3. कमरा नं0-2 – एग्री क्लीनिक, कम्प्युटर रूम
4. कमरा नं0-3 – मिनी स्वाईल टेस्टींग लैब
5. कमरा नं0-4 – कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/ पयवेक्षक स्तर के पदाधिकारी का कमरा
6. कमरा नं0-5 – स्टोर रूम

उक्त क्रम में स्वीकृत लोहरदगा प्रखण्ड के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनफोरमेशन सेंटर के भवन को चिन्हित कर एग्री क्लीनिक संचालन हेतु चयनित संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा।

09. एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाएँ -- एग्री क्लीनिक में कृषकों को संलग्न तालिका विवरणी-2 के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी। एग्री क्लीनिक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं प्रक्रिया के संबंध में एग्री क्लीनिक के भवन के बाहर सुस्पष्ट रूप में

सूचना अंकित की जायेगी। यह सूचना दीवार लेखन/बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी।

10. एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणाली :– एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध करायेगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराहन तक की होगी। कृषकों के आगमन के उपरांत उनके आवश्यकता के अनुरूप विवरणी–2 में अंकित तालिका के अनुसार आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/ लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त आवेदन को एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात पावती रसीद कृषकों को दी जायेगी। एवं विवरणी–2 में वर्णित विवरणी के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में संपर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों की पूरी जानकारी उद्देश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

11. एग्री क्लीनिक में मिनी स्वायल टेस्टींग लैब के साथ–साथ अन्य आवश्यक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. **वित्तीय प्रावधान** :– इस योजना के तहत वार्षिक 7.00 लाख प्रति एग्री क्लीनिक की दर से देय होगा।

13. उक्त समिति द्वारा जिले में इन एग्री क्लीनिक के परिचालन का कार्य सुचारू रूप से करते हुए निर्धारित कार्यसूची पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी–सह– नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक) को देना होाग। प्रतिमाह व्यय प्रतिवेदन एवं विपत्र भी उपस्थापित करना होगा ताकि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जा सके।

- **e-NAM** में पंजीकृत किसानों को **SMS** के माध्यम से सामायिक कृषि मौसम, फसल मंडीभाव एवं कीटव्याधि आदि की सूचना देना भी कार्यकारी एजेंसियों का दायित्व होगा। इस कार्य हेतु वे विपणन सचिव से समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर लेंगे।
- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, रॉची होंगे तथा संयुक्त कृषि निदेशक के देख–रेख में संपूर्ण योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा उपायुक्त से MOU करना होगा। प्रथम पक्ष के द्वारा सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु **(EOI)** के आलोक में द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा जो दोंनो पक्षों को मान्य होगा।
- प्रथम पक्ष के द्वारा कार्यादेश एवं मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे द्वितीय पक्ष को तय समय सीमा के अंतर्गत कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- द्वितीय पक्ष कार्यादेश अनुसार कृषकों की सूची, आवश्यक फोटोग्राफ, अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना कराना होगा।
- यह **MOU** मात्र 1 (एक) वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
- द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नस्तर के कार्य अथवा अत्यंत धीमी प्रगति से योजना के क्रियान्वयन की स्थिति में प्रथम पक्ष के पास **MOU** रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा जो द्वितीय पक्ष (चयनित संस्था) को मान्य होगा।

27/09/24	30.9.24	1/10/24
जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	उप विकास आयुक्त, लोहरदगा	उपायुक्त, लोहरदगा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा

(ईमेल– *daolohardaga@gmail.com*)

पत्रांक ..../ दिनांक ....

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

सेवा में,

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी,
लोहरदगा।

विषय : इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधी विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के पत्रांक 49 रॉची दिनांक 02.08.2024 के आलोक में लोहरदगा जिला में एग्री क्लीनिक योजना का स्थापना की जानी है के निमित एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसी/ संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जिसमें महिला समूह/ स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/ सहकारी समितियॉ/ गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) हो सकते है कार्यकारी एजेंसियों/ संस्थाओं का चयन से संबंधित इच्छा की अभिव्यक्ति का विज्ञापन संबंधी आवश्यक सूचना का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में करने हेतु सामग्री अपलोड करने के निमित हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (सी0डी0) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रहीं हैं।

अतः अनुरोध है कि तद्संबंधी विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग के बेबसाईट पर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अपलोड कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी।

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :	*– कालेन खलखो, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा।*
विभाग	*:– कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।*
मोबाईल सं0	*:– 7543001771*
मैसेन्जर का नाम	*:– अखिलेश्वर साहु, अनुसेवक*
मोबाईल सं0	*:– 8789125782*

विश्वासभाजन,

1/10/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 839/ दिनांक 1-10-24

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न इच्छा की अभिव्यक्ति को **NIC** के बेबसाइट में अपलोड करने की कृपा की जाय।

1/10/24

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।